

OK 24.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

H 257143

==: बैनामा ==:

Mehd. Sathar

कीमत 6,93,000/- रुपये अक्षरी छै: लाख तिरानबे हजार रुपये मात्र ।

क्षेत्र - पुरैना प.ह.नं.113/44

बाजार भाव - 8,80,000/- रुपये

वार्ड क्र. 45 रानी दुर्गावती वार्ड

स्टाम्प शुल्क - 44,000/- रुपये

नगर निगम क्षेत्र रायपुर

महिला क्रेता के पक्ष में



मुद्रांक शुल्क -- 35200 -00

निगम शुल्क -- 8800 -00

उपकर शुल्क -- 00 -00

अतिरिक्त -- 00 -00

योग -- 44,000 -00

Mehd. Sathar



लक्ष्मी सोनी

..2..

क्रमिक 13055 विवेकता
 दिनांक 19/9/16
 नाम
 पिता/पति
 शा.
 मो. नं.
 पाम
 शा.

Deputy Treasury Officer
 07 SEP 2016
 RAIPUR (CHHATTISGARH)

मोहम्मद परवज गंज
 स्टाम्प वेंडर ला. क्र. 244
 सह. परिसर रायपुर (छत्तीसगढ़)
 मो. नं. 98261-26784



मौज सिर्गोन आठअरफ हुर्गेन
 19 SEP 2016
 मो. नं. 98261-26784

उपस्थित में प्रमाणित
 (क) प्रमाणित किया गया है
 (ख) प्रमाणित नहीं किया गया है
 (ग) प्रमाणित नहीं किया गया है
 (घ) प्रमाणित नहीं किया गया है
 (ङ) प्रमाणित नहीं किया गया है

4400-08

mod 5044



Scanned with OKEN Scanner



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

H 257145

..3..

विवरण बयशुदा सम्पत्ति का :- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन क्षेत्र- 4, शंकर नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ आवास योजना के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुरेना के ब्लॉक क्र. 10, तृतीय तल पर निर्मित फ्लैट विक्रेता के अधिकार एवं आधिपत्य का ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट क्र. 15, जिसका खसरा नं. 331/1, 420, 425, 446/1, 446/2, 450, 451, 454, 418, 423, 424 का भाग क्षेत्रफल 321 (तीन सौ इक्कीस) है, जिसमें तृतीय तल पर पुरे रकबे पर कालम सिस्टम/पाईलिंग आर.सी.सी. छत युक्त फ्लैट निर्मित है, जो वाके मौजा ग्राम पुरेना प.ह.नं. 113/44, वार्ड क्रमांक 45 रानी दुर्गावती वार्ड (कण्डिका क्रमांक 12 के अनुसार) रा.नि.मण्डल रायपुर-1, तहसील व जिला रायपुर में स्थित है, विक्रयशुदा फ्लैट को संलग्न नक्शे में लाल रंग से घेरा कर दर्शाया गया है, तथा विक्रयशुदा फ्लैट मुख्य मार्ग से लगभग 1/2 कि.मी. अन्दर है, तथा विक्रयशुदा फ्लैट रायपुर नगर निगम सीमा में स्थित है, तथा विक्रयशुदा फ्लैट की चतुर्सीमा निम्नाजुसार है :-

उत्तर दिशा में	--	ई.डब्ल्यू.एस. ब्लॉक नं. 11
दक्षिण दिशा में	--	ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट नं. 10/16
पूर्व दिशा में	--	ई.डब्ल्यू.एस. ब्लॉक नं. 21
पश्चिम दिशा में	--	ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट नं. 10/14

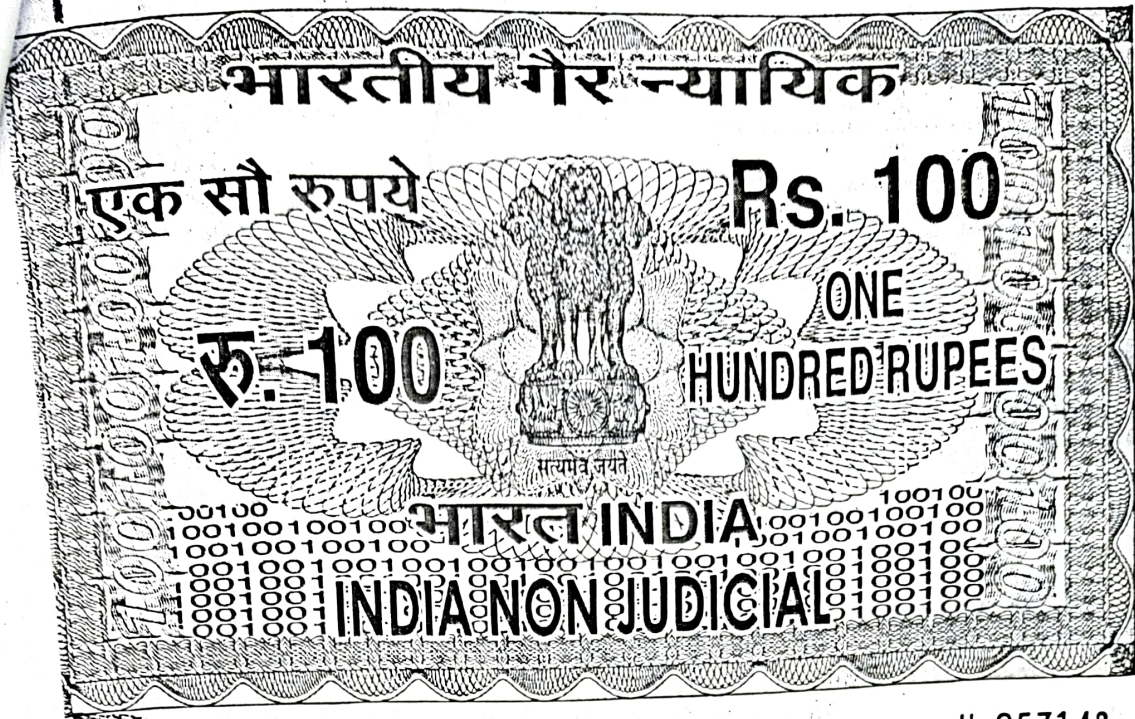
Mohd. S. Khan



उक्त बयशुदा सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु विक्रेता को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से फ्री होल्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। जिसका आदेश क्र. एफ. 1-100/2009/32 रायपुर, दिनांक 30.12.2011 एवं दिनांक 13.03.2012 तथा आदेश क्र. 191 दिनांक 12.01.2013 के परिपालन में हस्तांतरण कर विक्रेता को मालिकाना हक प्रदान हुआ है, जिसका दिनांक 14.07.2016 है।

लक्ष्मी सोनी

..4..



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

H 257148

..4..

विक्रय प्रतिफल :- विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 6,93,000/- रुपये अक्षरी छै: लाख तिरानबे हजार रुपये विक्रेता नें क्रेता से आपस में निम्नानुसार प्राप्त कर लिया है :-

क्र.	राशि	चेक/नगद	दिनांक	बैंक का नाम
1.	50,000/-	000035	02/09/2016	एच. डी. एफ. सी. बैंक
2.	5,54,000/-	018224	17/09/2016	छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक
3.	89,000/-	0009	10/08/2016	एच. डी. एफ. सी. बैंक

टोटल = 6,93,000/- रुपये अक्षरी छै: लाख तिरानबे हजार रुपये मात्र।



इस तरह कीमत कि कुल चुकता रकम विक्रेता ने क्रेता से समक्ष दो गवाहों के नगद/चेक प्राप्त किया, अब विक्रेता को क्रेता से कोई रकम लेना या पाना शेष नहीं है।

Mohd. Sattar

लक्ष्मी सोनी

..5..

क्रमांक 13058 विक्रेता दिनांक 19-9-16

नाम पिता/पति

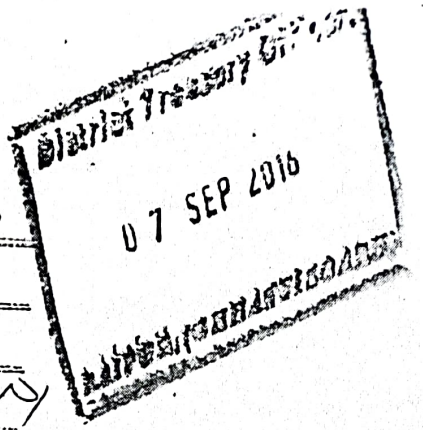
सा. तह. जिला

कीमती स्टाम्प (4) कीमती 88000

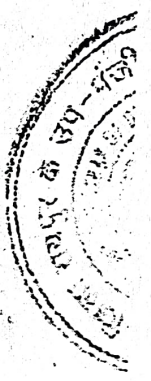
मार्फत

नाम

सा. तह. जिला



मोहम्मद परवेज गंज
स्टाम्प वेंडर ला. क्र. 244
तह. परिसर रायपुर (छत्तीसगढ़)
मो. नं. 98261 - 26784





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

..5..

H 257149

यह कि विक्रयकृत संपत्ति विक्रेता के एकमात्र स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की संपत्ति है। विक्रयकृत संपत्ति से संबंधित भू - अभिलेखों में, विक्रेता का नाम भी बतौर मालिक एवं कब्जेदार के दर्ज है। विक्रयकृत संपत्ति को विक्रेता किसी को भी किसी भी तरह से बय बख्शीश गहन आदि द्वारा हस्तांतरित करने का पूरा पूरा हक एवं अधिकार प्राप्त है।

यह कि विक्रेता को अपने परिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने हेतु रकम की आवश्यकता है इसलिए विक्रेता ने विक्रयकृत संपत्ति को क्रेता के पास उपर बताए विक्रय मूल्य में विक्रय कर उसका दखल कब्जा आज ही के दिन क्रेता को प्रदान कर दिया है।

यह कि विक्रयकृत संपत्ति में विक्रेता को जो भी हक एवं अधिकार प्राप्त थे वे सब अब क्रेता को प्राप्त हो गए। क्रेता को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वह विक्रयकृत संपत्ति से संबंधित भूमि अभिलेखों में अपना नाम बतौर मालिक एवं कब्जेदार के दर्ज करावे इस पर विक्रेतागण या उसके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि विक्रयकृत संपत्ति में विक्रेता का अब कोई हक या दावा शेष नहीं रहा क्रेता को यह अधिकार है कि वह विक्रयकृत संपत्ति का जिस तरह से चाहे उपयोग एवं उपभोग करें। उस पर खुद काबिज रहें या उसे किसी को किसी भी तरह से बय - बख्शीश आदि द्वारा हस्तांतरित करें इस पर विक्रेता को या उसके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। व उक्त सम्पत्ति में क्रेता द्वारा दुकान या मकान दो या तीन मंजिला का निर्माण कर सकता है जिस पर मुझ विक्रेता एवं मेरे वारिसान प्रशासक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

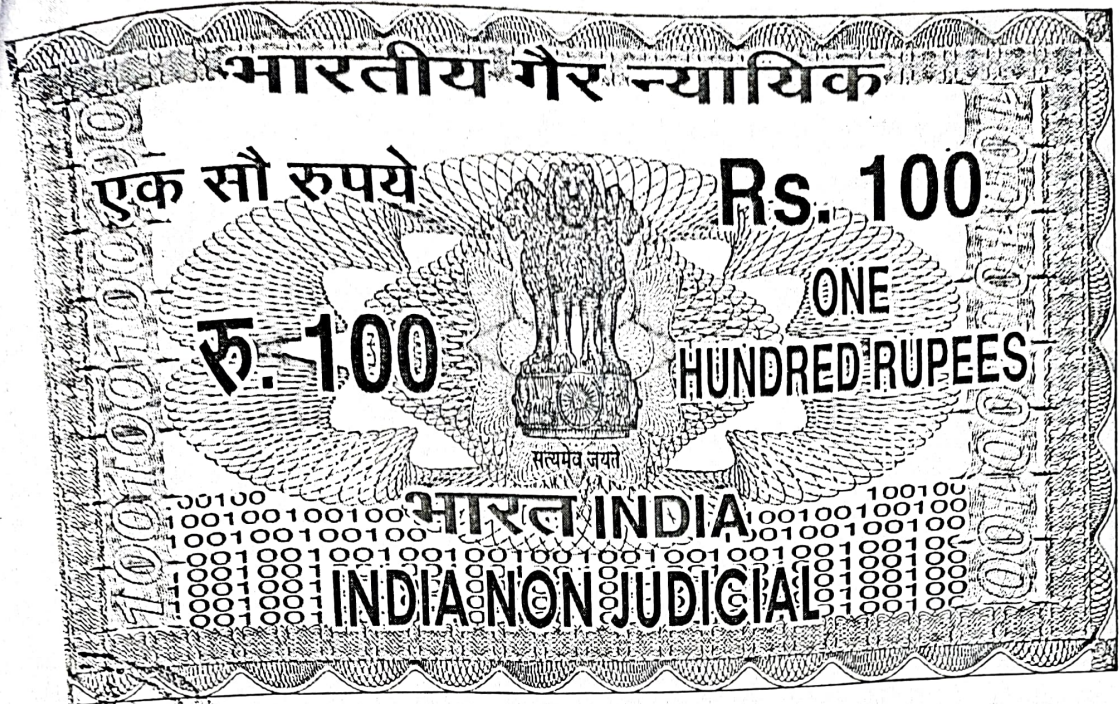
यह कि विक्रेता ने विक्रयकृत संपत्ति को इस विक्रय के पूर्व किसी को भी किसी भी तरह से बय - बख्शीश रहन गहन आदि द्वारा हस्तांतरित नहीं किया है और न ही हस्तांतरित करने का कोई कसर ही किया है इस तरह विक्रयकृत संपत्ति आज दिन हर तरह से पाक - साफ एवं लड़ाई - झगड़े, कर्ज आदि के बोझ से बरी है। अगर भविष्य में ऐसा कोई संविदा पाई जाती है तो उसका निराकरण करवाकर देने की सम्पूर्ण जवाबदारी विक्रेता एवं उसके वारिसानों की होगी।

Mohd. Siddhant

लक्ष्मी सौनी

...





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

..6..

H 257150

यह कि यदि भविष्य में विक्रयकृत संपत्ति कुल या उसका कोई हिस्सा क्रेता या उसके अंतरित या प्रतिनिधि के दखल कब्जे से विक्रेता या उसके वारिसानो या किसी दीगर दावेदारी या उजरदारी से निकले हुये भाग की पूरी पूरी कीमत मय तरवकी एवं नुकसानी के विक्रेता या उसके वारिसान, क्रेता या उसके वारिसान को अपने दीगर जायदाद से देनदार रहूंगा।

यह कि पूर्व में विक्रेता के द्वारा विक्रयकृत संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को विक्रय, दान, रहन, या अन्यथा अंतरित नहीं किया गया है और ना ही अंतरित करने की कोई संविदा ही की गई है और ना ही किसी बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग में बंधक आदि रखी गई है, इस प्रकार विक्रयशुदा संपत्ति आज दिनांक को पूर्ण रूप से पाक साफ है।

यह कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन से किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय आदेशो एवं नियमो की अवहेलना नहीं होती है और ना ही छ.ग.राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के प्रावधानो का उल्लंघन होता है और ना ही भूमि भूदान या शासन से प्राप्त की गई है।

यह कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

यह कि विक्रेता के द्वारा आज दिनांक तक का समस्त कर लगान टैक्स इत्यादि अदा कर दिया है। आज दिनांक के पश्चात क्रेता अदा करेगा उपरोक्त विलेख मेरे द्वारा विक्रेता एवं क्रेता द्वारा दिए गए विवरण एवं जानकारी के अनुसार प्रारूप तैयार किया गया है।

Mohd. Sathin

जुम्मा सेनी

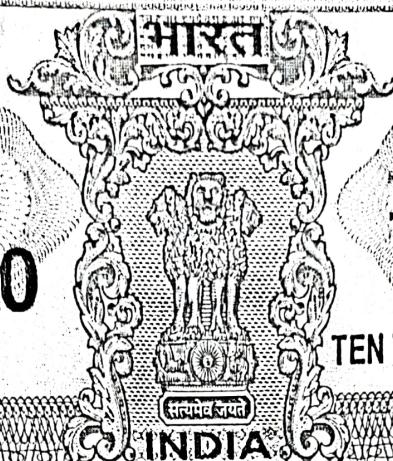
..7..



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

895802

895802



सहायक रूप दिनांक

ईकाता बाजार मूल्य

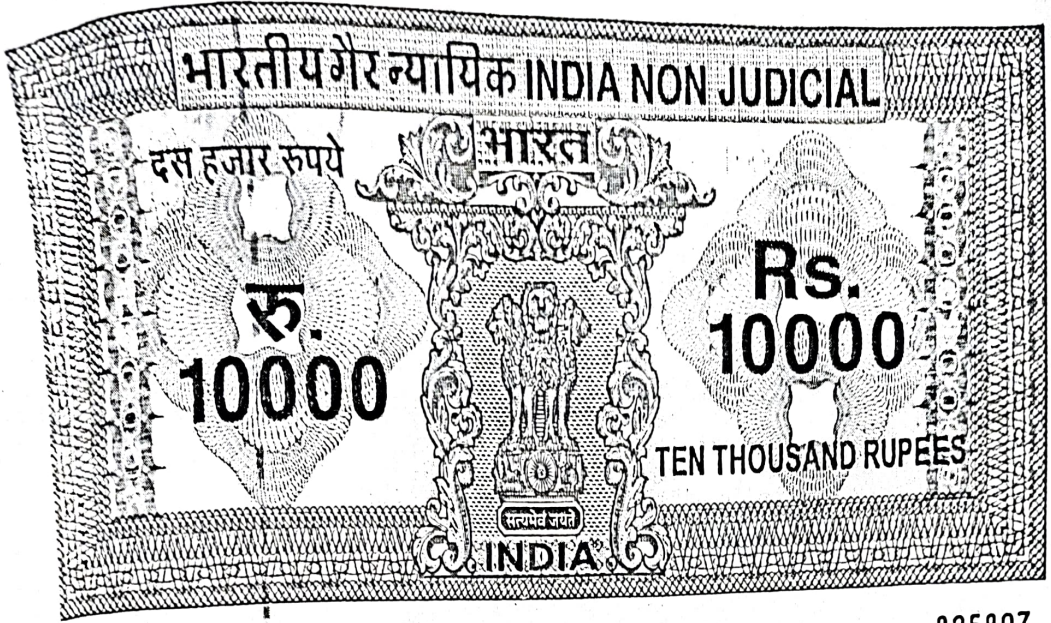
चिह्नेता का नाम

पेता का नाम

Q. 2. 2. 2.

metals





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

895803

895803

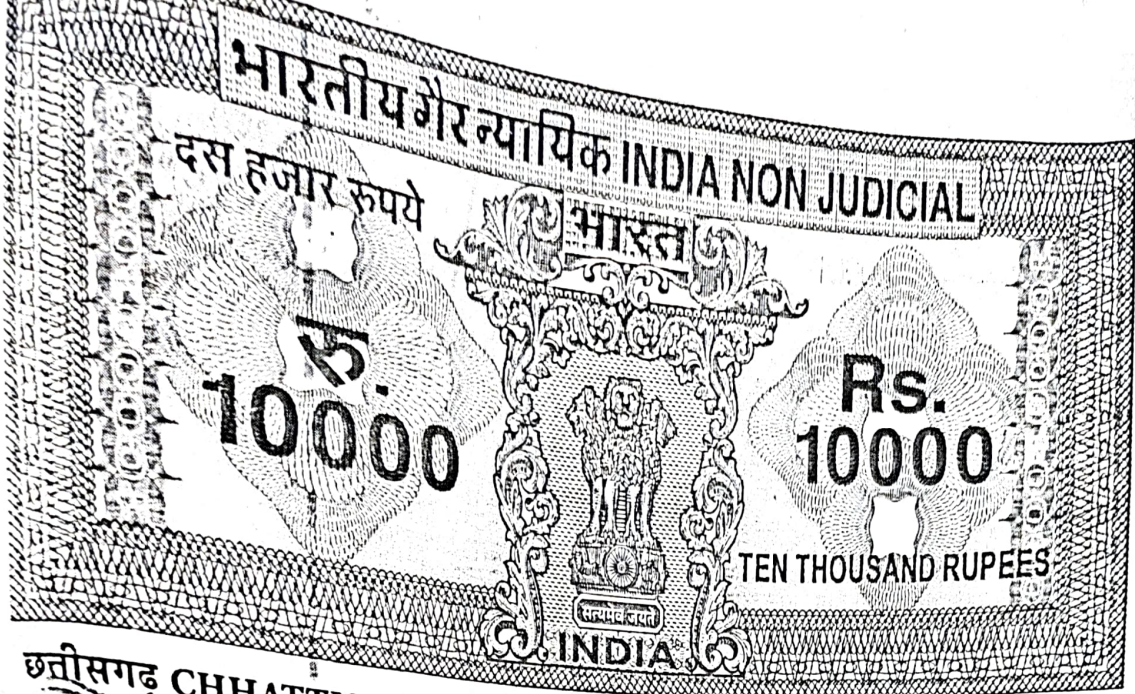


mehd. Sethi

पंजीकृत नाम दिनांक
पता
दिनेता का नाम
पेता का नाम

Q. 2018





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

895804

895804

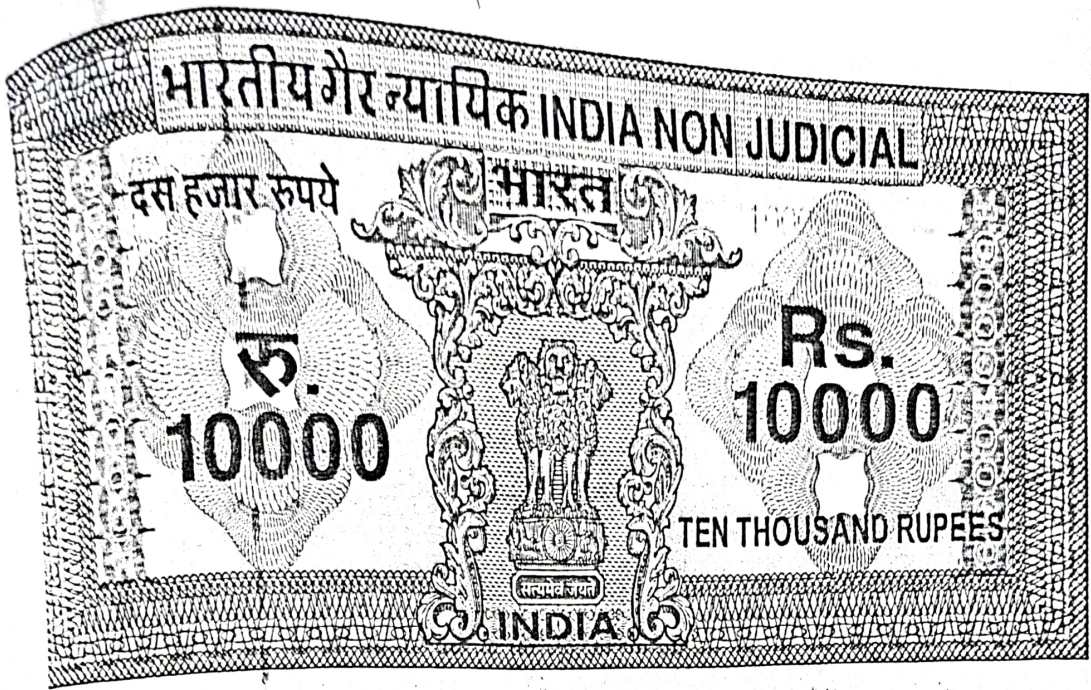


mohd Sattar

प्राप्तकर्ता का नाम	दिनांक
पता	वापस करने का पता
प्राप्तकर्ता का पता	
प्राप्तकर्ता का नाम	

Q. Sattar





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

895805

895805

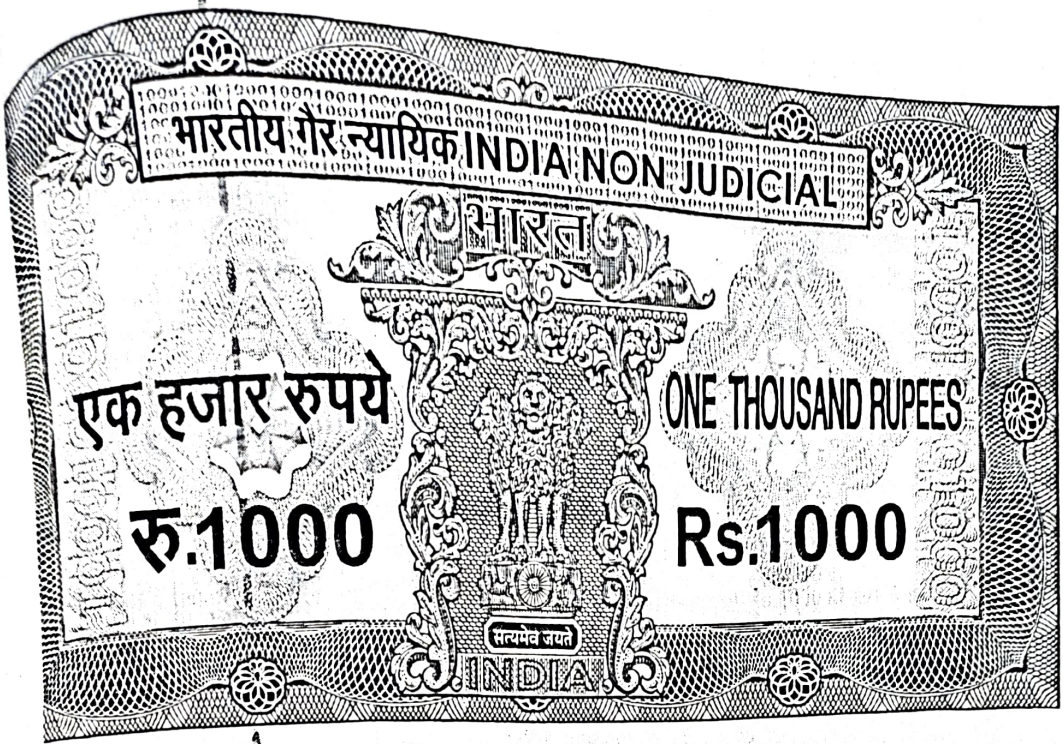


met. Kethan

नाम
पता
विकास का
संस्था का नाम

10000





नीसगढ़ CHHATTISGARH

D 026064

Mohd. Sathin



..... दिनांक

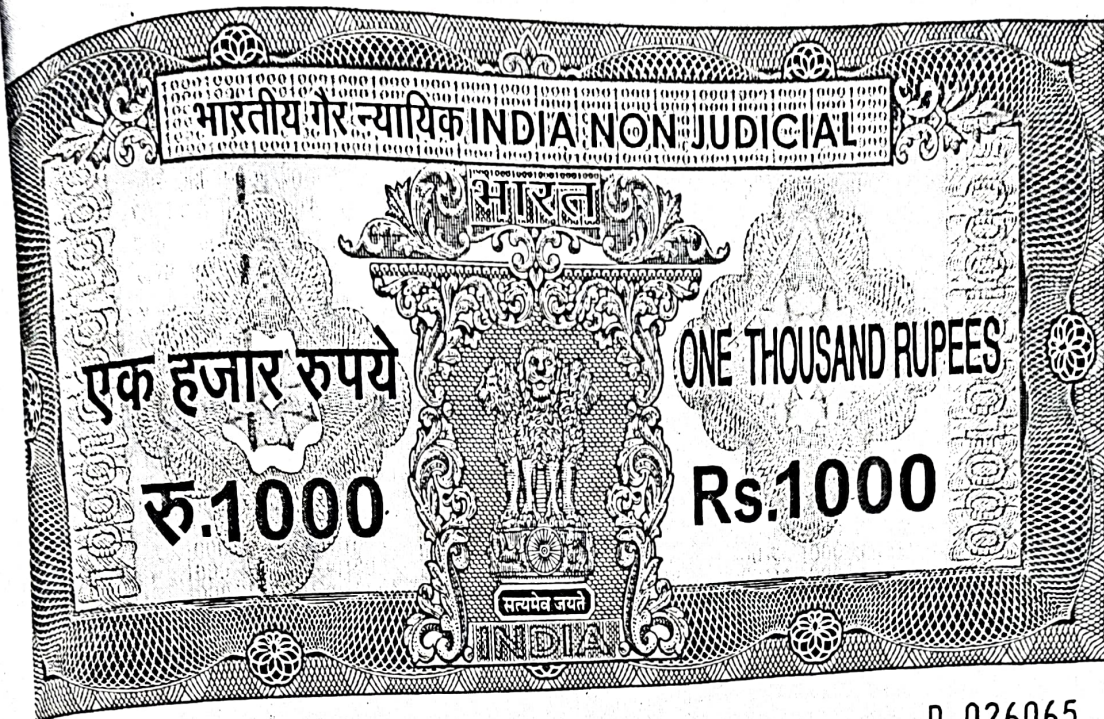
..... का नाम

..... का नाम

..... का नाम

[Signature]





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

D 026065



Mohd. Sarker

प्राप्त किया
दिनांक
स्थान का नाम
पेता का नाम

Q. Sarker





CHHATTISGARH

D 026066

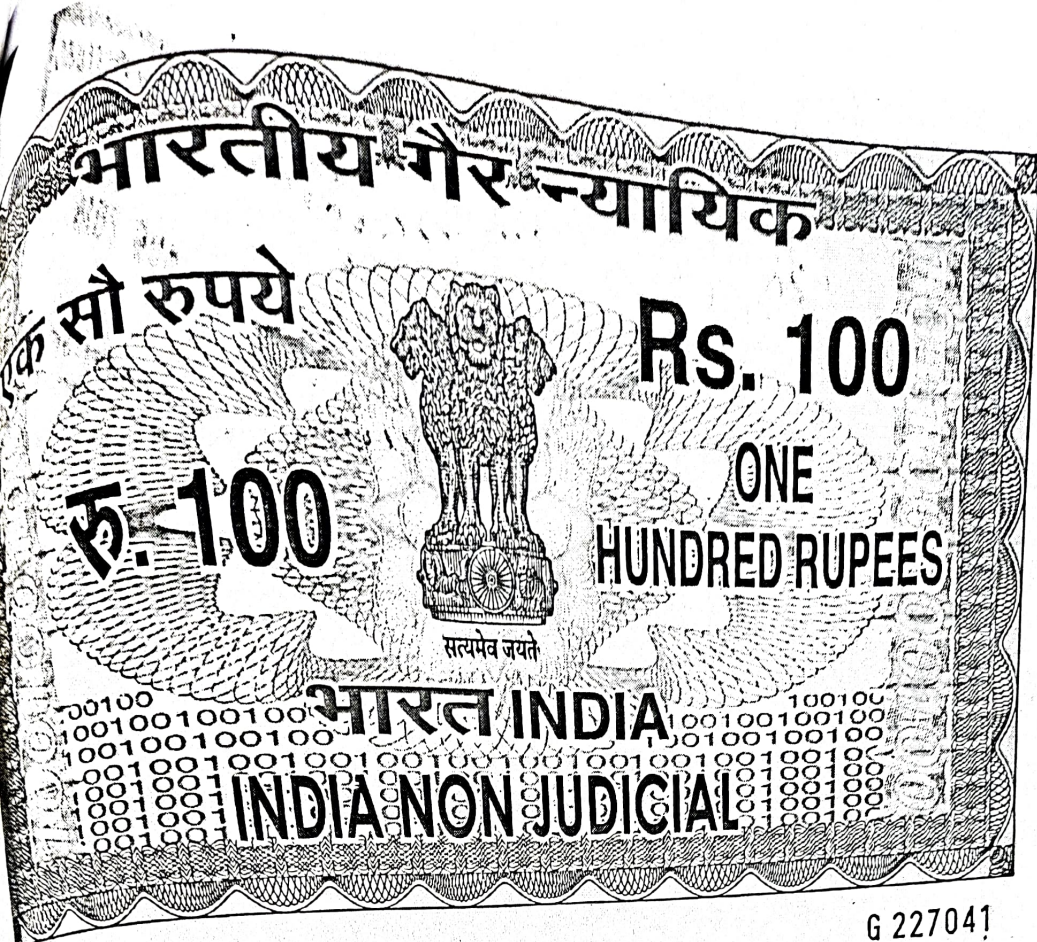
mohd. Saitan



पुस्तक क्र. _____
दिनांक _____
लिखित का नाम _____
पेता का नाम _____

[Handwritten signature]





छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

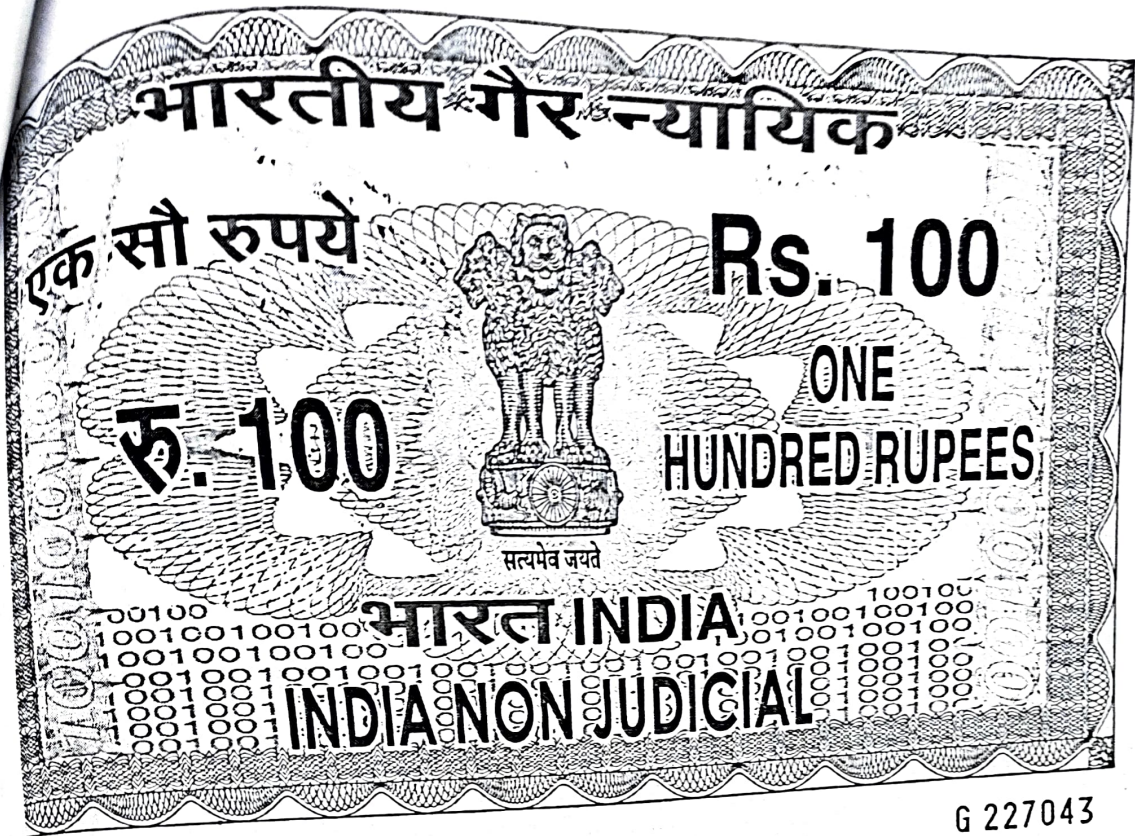
mohd. Sakin



दिनांक
स्थान
प्रिन्टिंग का नाम
पेरा का नाम

[Signature]





G 227043

प्रीतिसगढ़ CHHATTISGARH

महेश साहू

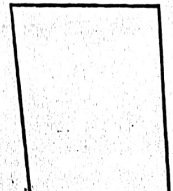
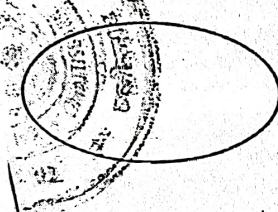
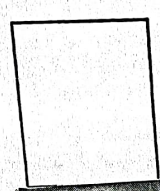


प्राप्त किया _____ दिनांक _____
प्रेषक _____
प्राप्त का नाम _____
प्रेषक का नाम _____

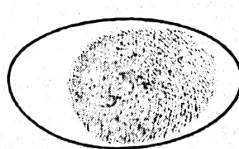
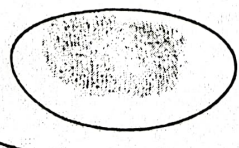
महेश साहू



अधिनियम 1908 की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

बायें हाथ का अंगुष्ठ छाप (काली एवं काली स्याही से)	पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	विक्रेता / दावेदार का नाम एवं हस्ताक्षर
2	3	4
		<u>मकल सुधीर</u>
		
		
		<u>लक्ष्मी सोनी</u>

गवाह के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ छाप

1 		<u>P. Singh</u>
2 		<u>Sy</u> 



संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रमाण-पत्र

फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन हेतु

ज्ञात किया जाता है कि श्री मोहम्मद सिब्वैन, पिता श्री असरफ हुसैन, पता-
फ्लैट वेयर, मेन रोड, बैजनाथपारा, रायपुर (छ.ग.) द्वारा फ्लैट/भूखण्ड
के ई. डब्ल्यू.एस. फ्लैट-10/15, सामान्य आवास योजना, कालोनी पुरैना,
पुरी के स्वामित्व/भाडाक्रय/एकमुश्त आधार पर क्रय किया गया है। राज्य
नृ. के आदेश क्र. एफ. 1-100/2009/32 दिनांक 30.12.2011 एवं दिनांक
03.2012 के अनुसार 600 वर्गफीट तक के भू-खण्ड/भवन हेतु संपरिवर्तन
क देय नहीं हैं।

खण्ड क्षेत्रफल 29.89 वर्गमीटर अथवा 321.61 वर्ग फीट है।



Estate Officer,

For, Housing Commissioner,
Chhattisgarh Housing Board,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

उप पंजीयक
पंजीयन कार्यालय
जिला रायपुर (छ.ग.)



अब फ्री- होल्डधारी को उक्त भू-खण्ड/प्लैट पर न तो प्रतिवर्ष भू-भाटक देय होगा और न ही उसे अपने भू-खण्ड/प्लैट को विक्रय करने के पूर्व हस्तांतरण शुल्क की राशि जमा करना प्राधिकृत अधिकारी से किसी प्रकार की अनापत्ति प्राप्त करने की ही आवश्यकता होगी।



अधिसूची

भू-खण्ड/प्लैट के ब्यौरे :- ई.डब्ल्यू.एस. प्लैट=10/15, सामान्य आवास योजना, पुरैना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

नक्शा :- संलग्न है।

प.ह.न. :- 36, पटवारी खसरा नं. :- 446/1, 446/2 का भाग

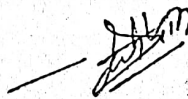
स्थान :- पुरैना रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

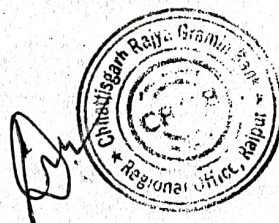
तारीख :- 2 JUN 2016


Estate Officer,
For, Housing Commissioner,
प्राधिकृत अधिकारी, छ.ग. रायपुर
Estate Management Zone No.4, Raipur

mold. S. S. S.

फ्री- होल्डधारी के हस्ताक्षर







छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

37
14-7-16

!! भूमि फ्री-होल्ड प्रमाण-पत्र !!

सहर्ष प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सिद्दीन, पिता श्री असरफ हुसैन, पता- एवन फूट वेयर, मेन रोड, वैजनाथपारा, रायपुर (छ.ग.) भवन/भू-खण्ड/प्रकोष्ठ भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. प्लॉट-10/15, का क्षेत्रफल 29.39 वर्गमीटर कालोनी पुरैना रायपुर, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा लीज पर आबंटित किया गया है। उक्त सम्पत्ति को शासन के आदेश क्रमांक एफ-1-100/2009/32 रायपुर, दिनांक 30.12.2011 एवं दिनांक 13.03.2012 तथा आदेश क्रमांक 191 दिनांक 12.01.2013 के परिपालन में हस्तांतरण कर मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। तत्संबंध में निष्पादित हस्तांतरण विलेख दिनांक 02.06.2016 को पंजीयन पश्चात् सम्पत्ति को फ्री-होल्ड किया जाता है।

दिनांक :- 14-7-16

स्थान :- रायपुर

संपदा अधिकारी,

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04,

शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Mohd Siddiq



जोत हेतुका में एवं कर्तों का ब्योरा रुपये पला म

फारम या-1
किरतयन्त्री खतीनी (आसानीवार)

क्र.सं.	पुर्ना पुर्नास्वामी व हस्तकीय पट्टेदार का नाम	हल्का ०००१६		रा. नि. म.		रायपुर - दो		ताडसील		रायपुर		जिला		रायपुर		वर्ष २०१२-२०१३		वर्ष २०१३-२०१४		गोरो पद वर्तमान के बरी							
		छाते में शामिल प्रत्येक पु-पापन क्रमांक का क्षेत्रफल और छाते का कुल क्षेत्रफल	प्रत्येक पु-पापन क्रमांक का क्षेत्रफल	फिस्ती के व्योरे	पु- राजस्व	उपकर	योग	भुजान करने वाले जक्ति का नाम	भुजान की तारीख	पु- राजस्व	उपकर आवक	योग	छाते में जमा रकम जमा करने वाले का नाम	छाते के बरी	भुजान करने वाले का नाम	पु- राजस्व	उपकर	योग	वर्ष की संपत्ति पु- राजस्व		उपकर	योग	वर्ष की संपत्ति पु- राजस्व	उपकर	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
प्रतापगढ़ ग्रह निर्माण मंडल जाति पला		३३४/२	०.८०१																								
		३३४/३	१.७७१																								
		४२५	४.१६६																								
		४३०	०.२१४																								
		४४६/१	१.४४९																								
		४४६/२	०.४०५																								
		४४७	०.११३																								
		४५६/१	०.१६०																								
		४६०	०.३९५																								
		१	१३.०८६																								

प्रतिनिधि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :

11/05/2013
प्रमाण पत्र

Developed By NIC

mold Sattan

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :





संलग्न CHHATTISGARH

7..

H 257151

अतः उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप निम्नांकित दो गवाहों के समक्ष इस विलेख को पढ़कर, समझकर, सजी खुशी, पूर्ण होश हवास स्वस्थचित्त मन से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल की अदायगी व प्राप्ति की अभिस्वीकृति करते हुए उभय पक्षकारों ने यह दस्तावेज निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें। उक्त बँनामे में कांट- छांट नहीं है।

टाईप एवं प्रारूपकर्ता :- सैय्यद वाजिद अली दस्तावेज लेखक, रायपुर (छ.ग.)
दिनांक :- 19/09/2016

:: गवाह ::

:1: हस्ताक्षर :-

नाम :- प्रेमकुमार लोरी
पिता :- जगतनाथ लोरी
पता :- सड मीर लंडमिशाल नगर लेनी बाघी

हस्ताक्षर विक्रेता

:2: हस्ताक्षर :-

नाम :- Brij B. Pagnam
पिता :- Brij B. Pagnam
पता :- Amia 14 Bairpur

हस्ताक्षर क्रेता

कुम्भी राजी

दस्तावेज लेखक का नाम - सैय्यद वाजिद अली
लायसेन्स नम्बर - 213, दस्तावेज लेखक के व्यवसाय का स्थान
तहसील कार्यालय रायपुर (छ.ग.)
नियोजक का नाम - श्री. विनोद
पंजी. में क्रमांक - 539
तारीख - 19/09/2016
ली गई फीस रु.
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर -

13061

19-9-16

07 SEP 2016

100

8800

54161

कुल मूल्य = 4.4000
कुल मूल्य = 3.2000
कुल मूल्य = 1.0000
कुल मूल्य = 8.6000

मो. नं. 95281

19 SEP 2016

Mohd. Sathin

Ad-1
71793
30+43
4531

कमी रोनी

मो. नं. 95281

19 SEP 2016

मो. नं. 95281

मो. नं. 95281

मो. नं. 95281

1 mm
2 mm



71793
10-00
10-00
5-00
726

